UGC Approved Journal No. 49321 Impact Factor : 7.0 ISSN : 0976-6650

Shodh Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 15, No. 3 Year - 15 March, 2024

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief
Prof. Abhijeet Singh

Editor
Dr. K.V. Ramana Murthy
Principal
Vijayanagar College of Commerce
Hyderabad

Dr. Anil Kumar
Assistant Professor, Department of History
Rajdhani College, University of Delhi

Published by
SRIJAN SAMITI PUBLICATION
VARANASI
E-mail : shodhdrishtivns@gmail.com, Website : shodhdrishti.com, Mob. 9415388337

UGC Approved Journal No. 49321 Impact Factor : 7.0
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 15, No. 3, March 2024 ISSN : 0976-6650

अंबेडकर के राष्ट्रवादी चिंतन में राष्ट्रीय तत्वों का महत्व एवं मूल्यांकन

श्रीमती प्रीति सिंह राजपूत
शोधार्थी, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल, म.प्र.
डॉ0 सोना शुक्ला
शोध निर्देशिका
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल, म.प्र.

सारांश

राष्ट्र संचालन एक व्यापक, बहुआयामी, क्रमिक वृद्धि वाली तथा जटिल प्रक्रिया है, जो समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। राष्ट्र वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ दोनों ही हो सकता है। वस्तुनिष्ठ रूप में राष्ट्र एक राजनीतिक समूह है, जिसमें नागरिकता, नागरिक कर्तव्यों एवं समर्पण पर बल दिया जाता है। दूसरी तरफ राष्ट्र एक सांस्कृतिक समुदाय भी है, जिसमें नृजातीय बन्धनों एवं निष्ठा पर बल दिया जाता है। राष्ट्र से ही राष्ट्रीयता का भाव जुड़ा हुआ हैं, जो प्रत्येक राष्ट्रवासी के अन्तःकरण में वैचारिक चेतना के रूप में विद्यमान रहती है। राष्ट्रवाद को आधुनिक काल की एक संकल्पना के रूप में देखा गया है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को उससे जोड़कर देखता है। डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रवाद में निजी हित के बजाय राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना जाता है। इसके अतिरिक्त डॉ. अम्बेडकर राष्ट्र–संचालन के आवश्यक तत्त्वों में वैचारिक विरासत, सामाजिक अखण्डता, भाषायी एकता, जातीय एकता, सामान्य संस्कृति आदि को महत्त्वपूर्ण मानते है। राष्ट्र–संचालन के साधनों में राजनीतिक, संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास और जन संचार के माध्यम से नागरिकों में राष्ट्रीय चतेना एवं राष्ट्र के प्रति निष्ठा एवं विश्वास को जगाया जा सकता है।

***उद्देश्य** – प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य अंबेडकर के चिंतन में राष्ट्रीय तत्वों के महत्व का अध्ययन करना है।*

***शोध प्रविधि** – प्रस्तुत शोध पत्र में विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन हेतु द्वितीयक स्रोत्रों जैसे– पुस्तकों, पत्रिकाओं शोध ग्रन्थों का अध्ययन किया गया है एवं साथ ही ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, एवं वर्णात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।*

प्रस्तावना

डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार राष्ट्र के संचालन में भूमि, वहाँ का समाज और समाज की एक श्रेष्ठ परम्परा, यह तीनों ही अनिवार्य तत्व हैं। राष्ट्र केवल भौतिक इकाई नहीं है। उनके विचार में राष्ट्र एक जीवित आत्मा है, यह आत्मिक सिद्धान्त है। इसके लिये आवश्यक है स्मृतियों की बहुमूल्य विरासत का समान अधिकार तथा वर्तमान काल में वास्तविक सहमति। एक साथ रहने की इच्छा तथा अभिभाजित विरासत, जो हमारे पूर्वजों ने हमकों सौंपी है, उसे कायम रखने के लिये प्रबल इच्छा का होना नितान्त आवश्यक है। एक व्यक्ति की भाँति 'राष्ट्र' भूतकालीन लोगों द्वारा किये गये सतत प्रयत्न, त्याग और देशभक्ति का परिणाम है। अंबेडकर के अनुसार, "वीरतापूर्ण भूतकाल, श्रेष्ठ पूर्वज और उनकी महान यश–गाथाएँ हमारी पूँजी के ढ़ांचे का निर्माण करती है, जिस पर हम अपने राष्ट्र की रचना कर सकते है। एक राष्ट्र की रचना में भूतकालीन सम्मिलित इच्छा, भूतकाल में एक साथ महान कार्य करने के अवसर और भविष्य में भी पुनः महान कार्य करने की प्रबल आकांक्षा, पूर्णरुपेण गर्भित है। इसके लिये हमने जो त्याग और कठिनाइयाँ झेली हैं उनके प्रति हमारा अटूट अनुराग और अपने उत्तराधिकारियों को उन्हें सौंप देने की प्रबल इच्छा ही एक राष्ट्र की रचना करती है।"[1]

केवल भूमि से ही राष्ट्र का संचालन नहीं होता बल्कि वहाँ पर रहने वाला समाज इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इस विषय में डॉ. अंबेडकर रेनन का उदाहरण देते हैः "भूमि नही, वहाँ का समाज ही राष्ट्र का निर्माण करता हैं। भूमि तो केवल आधार प्रदान करती है। समाज राष्ट्र की आत्मा है। यह कहा जा सकता है कि पवित्र राष्ट्र के निर्माण में व्यक्ति ही सब कुछ है।"[2]

डॉ. अंबेडकर ने एक राष्ट्र की शक्ति और समृद्धि की नीव के निम्नलिखित आधार बताएं– "विशुद्ध घरेलू जीवन व्यापार में ईमानदारी, नैतिकता तथा लोकहित के उच्च स्तर, सादा जीवन, साहस, सच्चाई तथा निर्णय में तर्क और उदारता का निश्चित पुट, जिसमें चरित्र और बौद्धिक प्रतिभा का समान योगदान हो। यदि किसी राष्ट्र के भविष्य के लिये एक बुद्धिमतापूर्ण निर्णय करते है तो ध्यान से यह देखिये कि इन गुणों का उत्कर्ष हो रहा है या अपकर्ष। क्या चरित्र का महत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? जो लोग राष्ट्र में सर्वोच्च पद पर असीन हैं, क्या वे उन लोगों में से हैं जिनका नाम निजी जीवन में पार्टी का लिहाज किये बिना, सक्षम, पारखी लोग सच्ची श्रद्धा के साथ लेते है? क्या वे सच्चे विश्वास वाले, सुसंगत छवि वाले तथा

सच्ची राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो सकता है। डॉ. अंबेडकर का मानना था कि राष्ट्रीयता स्पष्ट और विवाद रहित होनी चाहिये। किसी भी प्रकार की शर्त अथवा प्राथमिकताओं से घिरी–बंधी राष्ट्रीयता नहीं। डॉ. अंबेडकर के अनुसार, "मैं जानता हूँ कि ऐसी कुछ बाते हैं जो हमारी भारतीयता के प्रति एकनिष्ठा की प्राप्ति में बाधा बनती हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हमारी भारतीय निष्ठा को हमारे ही सम्प्रदाय, भाषा अथवा संस्कृति की निष्ठाएँ प्रतिस्पर्धी भाव से लेशमात्र भी क्षति पहुँचाएँ। मैं चाहता हूँ कि भारत के सभी लोग ऐसी सभी बातों से ऊपर उठकर अपने आप को भारतीय और केवल भारतीय ही समझे। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं हो पाता है तो हम यह सबसे बड़ा पाप कर बैठेंगे और मैं अपने सामर्थ्य के साथ इसका विरोध करुँगा।"[6]

अमेरिका के 'कोलम्बिया विश्वविद्यालय' ने दीक्षान्त समारोह में डॉ अंबेडकर को 'डाक्टरेट ऑफ लॉ' की मानद उपाधि देकर अभिनन्दन करने का निर्णय लिया। यह एक आश्चर्य की बात थी कि तैब तक किसी भारतीय विश्वविद्यालय ने उनका सम्मान करने का कार्यक्रम तय नहीं किया था। अपने इस कार्यक्रम में अमेरिका जाने से पूर्व बम्बई के क्रिकेट क्लब में उनका अभिनन्दन किया गया। इस अवसर पर 31 मई 1952 को डॉ अंबेडकर ने कहा कि "लोग मेरे स्वभाव को उग्र समझते हैं तथा अनेक अवसरों पर सत्ताधारियों के साथ मेरा टकराव भी रहता है। परन्तु किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि मैं भारत के संबंध में कोई भी खराब शब्द वहाँ बोलूँगा। मैंने राष्ट्र के विरोध में कभी भी कोई कार्य नहीं किया। जहाँ तक गोलमेज सम्मेलन का प्रश्न है, राष्ट्र हित के विषय में, मैं गाँधी जी से दो सौ मील आगे था।"[7]

हिन्दू बहुमत का भय निराधार

मुसलमानों का यह मानना है कि देश के अन्दर हिन्दू बहुसंख्यक होने के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्ततोगत्वा उन्हीं का बहुमत हावी हो जायेगा। उनकी यह बात उचित नहीं है। डॉ. अंबेडकर साहब सन् 1940 के पूर्व की स्थिति को स्पष्ट करते हुये कहा कि "वास्तव में करोड़ों मुसलमान भारत में ऐसे हैं जो बिना किसी प्रतिबंध तथा नियन्त्रण के हिन्दू रियासतों में रहते हैं। वहाँ मुस्लिम लीग अथवा मुसलमानों द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी है। इस विषय के लिये भी भारत वर्ष में इस स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और स्वीट्जरलैण्ड की स्थिति से करना चाहिये। वहाँ पर प्रत्येक जाति को आम चुनाव में यह अधिकार है कि वह जितने चाहे उतने स्थानों के लिये अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते है। (जातीय जनसंख्या के आधार पर) स्विट्जरलैण्ड के निचले सदन में कुल 187 प्रतिनिधि हैं। उनमें जर्मन की संख्या 138 स्थान जीतने की संभावना रहती है। फ्रेंच 42, तथा इटैलियन केवल 7 स्थान। दक्षिण अफ्रीका में कुल 153 स्थानों में से अंग्रेज 62, डच 94 स्थान जीत सकते हैं परन्तु क्या कनाडा में फ्रांस निवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ, स्विट्जरलैण्ड में फ्रेंच एवं इटैलियन ने जर्मन लोगों के खिलाफ न रहने के लिये आवाज उठाई है? तब फिर मुसलमान ही क्यों यह आवाज उठाते है कि वे हिन्दुओं के साथ नहीं रहना चाहते?"[8]

डॉ. अंबेडकर प्रश्न करते हैं, "क्या हिन्दू बहुमत के आतंक और उत्पीड़न की संभावना के विरुद्ध मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी? कनाडा में फ्रेंचों को, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों और स्वीट्जरलैण्ड में फ्रेंच और इटैलियन्स के हितों के लिये जो सुरक्षा उन्हें प्रदान की गयी है, उसकी अपेक्षा भारत में मुसलमानों के हितों के लिये प्रदान की गयी सुरक्षा क्या अधिक विस्तृत और श्रेष्ठ नहीं है? एक उदाहरण देखें– क्या विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक नहीं है? क्या कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैण्ड में उक्त जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने का क्या प्रभाव है? क्या यह विधानसभाओं में हिन्दुओं के बहुमत को घटाना नहीं है?"[9]

अविभाजित भारत में मुसलमानों की जनसंख्या मात्र 24 प्रतिशत थी परन्तु उनको 45 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस विषय पर डॉ अंबेडकर कहते हैं कि भारत सरकार ने सन् 1935 एक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय सभा के निचले सदन में 187 कुल स्थानों में से हिन्दू स्थानों की संख्या 105 और मुसलमानों के स्थानों की संख्या 82 है। उक्त आंकड़ों का अध्ययन करने के पश्चात् कोई भी यह आग्रहपूर्वक प्रश्न कर सकता है कि हिन्दू राज्य का भय कहाँ है?

अल्पसंख्यकों का राष्ट्र की अखण्डता पर विचार

बाबा साहेब के अनुसार यह देश भिन्न–भिन्न जाति और पथों में बँटा हुआ है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिये आवश्यक संवैधानिक प्रबंध किये बगैर एक संघ स्वयं शासित समाज के रुप में नहीं खड़ा हो सकेगा। इस विषय में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती किन्तु अल्पसंख्यकों को भी यह ध्यान में रखना चाहिये कि आज यद्यपि समाज भिन्न–भिन्न जाति–पंथों के टुकड़ों में बंटे हुये है फिर भी सबका लक्ष्य एक संघ अखण्ड भारत ही है। इसको बाधा पहुँचाने वाली कोई भी माँग अल्पसंख्यकों द्वारा जाने–अनजाने में नहीं की जानी चाहिये। अतः वे भी अपने आप को प्रत्येक मोर्चे पर राष्ट्रभक्त ही सिद्ध करें और राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिये पूरी तरह तत्पर रहें।

आर्थिक तत्वों से बंधी हुई हैं। ये लोग वर्णभेद और जातिभेद मिटाकर सामाजिक समता के स्थान पर यूरोपीय साम्यवादियों का अंधानुकरण की आर्थिक समता पर ही पूरी शक्ति लगा देते हैं। इनके विचार में धार्मिक और सामाजिक सुधार भ्रममात्र है। साम्पत्तिक शक्ति ही एक मात्र शक्ति है। इस बात को मानव समाज का अध्ययन करने वाला कोई भी मनुष्य स्वीकार नहीं करेगा।"[13] वे समाजवादियों अथवा साम्यवादियों के आर्थिक समता संबंधी तत्वों को अव्यावहारिक मानते थे। उनकी दृष्टि में समता मात्र एक कल्पना हो सकती है। वे आर्थिक मूल्यों के साथ–साथ आध्यात्मिक तत्वों को भी महत्व देते थे।

डॉ. अंबेडकर ने एक राष्ट्र एक भाषा पर भी बल दिया था और हिन्दी को उसके लिये उपयुक्त पाया था। उनकी दृष्टि में देश को बाँधे रखने में देश की एक भाषा का होना अनिवार्य है। यद्यपि भाषावार प्रान्तों की व्यूह रचना हुई है तथापि भाषाई आधार के मूल में भाषाई संकीर्णता स्वभाषा चेतना के नाम पर जोर नहीं पकड़ पाये, इस पर नजर रखना बहुत जरुरी है। इस आधार में परिवर्तन किये जाने के लिये भी वह सहमत थे। डॉ. अंबेडकर की राष्ट्रभक्ति लाजवाब थी। भारत की एकता में उनका पूरा विश्वास था। भारत के संविधान का ढ़ांचा तैयार करते समय उन्होंने राष्ट्रीय एकता को ही महत्वपूर्ण माना और उसी के अनरुप तंत्र के गठन पर बल दिया। संविधान निर्माण में डॉ. अंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदान को उनके विरोधियों ने नकारने का असफल प्रयास किया। 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुयी थी। राजनीतिक कारणों से अंबेडकर उस समय उस सभा में उपस्थित नहीं थे। संविधान का कारण और उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहर लाल नेहरु ने प्रस्तुत किया और उसके समर्थन में महत्वपूर्ण भाषण दिया। मूल अधिकारों के अध्याय को सरदार पटेल ने प्रस्तुत किया और उसके पक्ष में शानदार तर्क दिये, लेकिन क्या यह दोनों चीजें सिर्फ इन दो व्यक्तियों की थीं। इसके पीछे संघर्ष का लम्बा इतिहास था। सन् 1916 में ही कांग्रेस, लीग ने मिलकर बम्बई में भारतीय संविधान के लिये कुछ सुझाव दिये थे। सन् 1927 में लखनऊ में कांग्रेस की पहल पर पंडित मोती लाल नेहरु की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें मूल अधिकारों के संबंध में कुछ प्रस्ताव पास हुये थे। वास्तव में संविधान का प्राकदर्शन, इसके नीतिनिदेशक तत्व और मूल अधिकारों का अध्याय हमारे देश के राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के दौर में विकसित हुआ।

इस प्रकार डॉ. अंबेडकर समय के रफ्तार के साथ अपने विचारों में परिवर्तन के लिये भी तैयार थे। उनकी सोच विकसित हो रही थी कि दलित वर्ग के लोग अनन्तकाल तक आरक्षण की बैसाखी पर जिन्दा नहीं रह सकते। वे समाज की दौड़ में इन वर्गों की स्वस्थ भागीदारी के पक्षधर थे, इसलिये उनके खिलाफ लगने वाले अधिकांश आरोप मिथ्या प्रचार और निराधार तथ्यों को प्रस्तुत करने के कारण हैं। आज जरुरत है उनके सकारात्मक पक्ष को आगे कर समाज के उपेक्षित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की जिसे पूर्वाग्रह ग्रस्त लेखक और विद्वान नहीं कर सकते। उनके नाम का राजनीतिक उपयोग करने वाले भी उनको पीछे ढकेलने में कम सहयोगी नहीं हैं। आज आवश्यकता है उनके बारे में संतुलित ढंग से विचार करने की।

संदर्भ सूची :

1 डॉ. कृष्णगोपाल – बाबा साहब व्यक्ति और विचार, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 1994, पृ. 93
2 डॉ. बी.आर. आम्बेडकर – राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन, वाल्यूम–8, बम्बई, 1982, पृ. 34
3 बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर, सम्पूर्ण वाङ्मय, खण्ड–1, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1993, पृ. 268
4 डॉ. कृष्णगोपाल – पूर्वोक्त, पृ 94
5 डॉ. बी.आर. आम्बेडकर – राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन, वाल्यूम–1, बम्बई, 1982, पृ. 6
6 डॉ. बी.आर. आम्बेडकर – राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन, वाल्यूम–2, बम्बई, 1982, पृ. 195–196
7 धनंजय कीर – डॉ. आम्बेडकर–लाइफ एण्ड मिशन, पॉपूलर प्रकाशन, बम्बई, 1990, पृ. 423
8 डॉ. बी.आर. आम्बेडकर – राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन, वाल्यूम–8, बम्बई, 1982, पृ. 357
9 वहीं, पृ. 357
10 डॉ. अशोक मोडक, भारत सपूत – डॉ. भीमराव आम्बेडकर, बम्बई, 1990–91, पृ. 2
11 डॉ. अमरनाथ पासवान – डॉ. बी. आर. आम्बेडकर थॉट्स ऑन इण्डियन डेमोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनल राइट्स एण्ड सोशल जस्टिस, एकेडमिक पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2020, पृ. 185.
12 डॉ. बी.आर. आम्बेडकर – राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन, वाल्यूम–1, बम्बई, 1987, पृ. 45
13 राजकिशोर (सम्पादित) – भीमराव आम्बेडकर जातिप्रथा का विनाश, जाति का जहर, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृ. 12